



दिनांक 21.07.2020

जिला-कबीरधाम

थाना-चिल्फी

- थाना चिल्फी एवं पुलिस चौकी पोड़ी की संयुक्त टीम की कार्यवाही
- ग्राम बेंदा एवं लूप में सूने मकान से चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार
- गिरफ्तार आरोपियों ने कवर्धा शहर, बोड़ला शहर एवं जिला बेमेतरा में भी चोरी करना किया स्वीकार
- आरोपियों से चांदी के जेवर, मोटर सायकल, प्रिज एवं अन्य समान को किया जप्त

दिनांक 17.07.2020 को थाना चिल्फी में ग्राम बेंदा एवं ग्राम लूप में चोरी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल थाना प्रभारी चिल्फी निरीक्षक रमाकांत तिवारी द्वारा हमराह स्टाफ के मौके पर रवाना हुये तथा यथास्थिति से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला द्वारा घटनास्थल का बारिकी से निरीक्षण करने एवं अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करने हरसंभव प्रयास किये जाने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशानुसार थाना चिल्फी में अपराध क्रमांक अपराध क्रमांक 29/20 धारा 454,380 भादवि एवं अपराध क्रमांक 30/20 धारा 454,380 भादवि कायम कर थाना चिल्फी से विशेष टीम गठित कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी के लिए आसपास के क्षेत्र में रवाना किया गया। इसी दौरान मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिल्हाटी निवासी शुभम् शर्मा, नरेन्द्र साहू, संजू साहू, दुर्गेश शर्मा को घटनास्थल के आसपास संदिग्ध अवस्था में घुमते हुए देखा गया है, कि उक्त सूचना की तस्दीकी कर ग्राम सिल्हाटी निवासी शुभम् शर्मा, नरेन्द्र साहू, संजू साहू, दुर्गेश शर्मा को तलब कर पुछताछ किया गया। जिन्होंने एक साथ मिलकर सुने मकान में चोरी करना स्वीकार किया तथा चोरी गये मशरूका को आपस में बांट लेना बताया गया। आरोपियों से जिले में घटित अन्य चोरी की घटनाओं के संबंध में पुछताछ के दौरान अन्य 10 स्थानों से चोरी करना बताया गया जिसमें घटना दिनांक को ही थाना चिल्फी क्षेत्रांतर्गत ग्राम लूप तथा कवर्धा एवं बोड़ला में दुकान एवं पानठेला से फ्रीज तथा दुकान में रखे अन्य समान, मोटर सायकल एवं जिला बेमेतरा से मोटर सायकल चोरी करना शामिल है। उक्त जानकारी के संबंध में निरीक्षक रमाकांत तिवारी थाना प्रभारी चिल्फी द्वारा पुलिस अधीक्षक कबीरधाम को अवगत कराये जाने पर थाना चिल्फी एवं पुलिस चौकी पोड़ी की संयुक्त टीम गठित कर आरोपियों के निशानदेही में मशरूका व्याजाप्ता किये जाने निर्देशित किया गया। प्राप्त निर्देशों के आधार पर संयुक्त टीम गठित कर आरोपियों के कब्जे एवं निशानदेही के आधार पर चोरी गये मशरूका को बरामद किया गया है। आरोपियों से 02 किलो 308 ग्राम चांदी कीमती करीबन् 1.50 लाख रुपये एवं 01 नग स्कूटी मेस्ट्रो वाहन, 01 नग एचएफ डिलक्स मोटर सायकल, 02 नग स्पेलेंडर मोटर सायकल, 01 नग टीव्हीएस विक्टर, 01 नग एलजी कंपनी का

फ्रीज, 01 नग विडियोकान कंपनी का फ्रीज कुल कीमती 3.15 लाख कुल जुमला कीमती 4.65 लाख रुपये को जप्त किया गया है।

इस प्रकार संपूर्ण कार्यवाही श्री के.एल.ध्रुव पुलिस अधीक्षक कबीरधाम, श्री अनिल कुमार सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम, श्री अजीत ओगरे पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला के मार्ग निर्देशन में निरीक्षक रमाकांत तिवारी थाना प्रभारी चिल्फी एवं उप निरीक्षक बृजेश सिन्हा चैकी प्रभारी पोड़ी तथा चिल्फी एवं पुलिस चैकी पोड़ी से गठित विशेष टीम द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।

आरोपियों के नाम

01. शुभम शर्मा पिता लालू प्रसाद शर्मा उम्र 20 वर्ष साकिन ग्राम सिल्हाटी थाना बोड़ला
02. नरेन्द्र साहू पिता लालचंद साहू उम्र 30 वर्ष साकिन ग्राम सिल्हाटी थाना बोड़ला
03. संजू साहू पिता महेन्द्र साहू उम्र 19 वर्ष साकिन ग्राम सिल्हाटी थाना बोड़ला
04. दुर्गेश शर्मा पिता रामकुमार शर्मा उम्र 28 वर्ष साकिन ग्राम सिल्हाटी थाना बोड़ला

